न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 109 / 2019 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम खूड तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

–प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

–अप्रार्थी / अनावेदक

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा, वकील प्रार्थी ओर सें।

दिनांक – 31.12.2019

निर्णय

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमियां ख.नं. 119 रकबा 0.0100 है0, ख.नं. 34 रकबा 0.0500 है0, ख.नं. 35 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0800 है0 एवं कृषि भूमियां ख.नं. 120 रकबा 4.4200 है0, ख.नं. 36 रकबा 7.7500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.17 है0 वाके ग्राम खूड पटवार हल्का खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी / आवेदक का हक, हिस्सा 1027 / 3675 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी / आवेदक के उक्त हक, हिस्से की खातेदारी रामेश्वर लाल पुत्र गुल्लाराम के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थी / आवेदक का सही व वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम है अर्थात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी / आवेदक का नाम संहन से रामेश्वर प्रसाद की बजाय रामेश्वर लाल दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी / आवेदक का सही व वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम ही है जो कि उसके समस्त पहचान के दस्तावेजात अर्थात परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पासबुक, स्कुल रिकार्ड आदि एवं अन्य समस्त रिकार्ड में रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम ही दर्ज है। इसके अलावा प्रार्थी / आवेदक ने भारतीय सैना में नौकरी की है जहॉ पर भी उसके रिकार्ड में रामेश्वर प्रसाद ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी / आवेदक का नाम रामेश्वर लाल पुत्र गुल्लाराम के स्थान पर दुरूस्त कर संशोधित करते हुए रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी / आवेदक को यह रिकार्ड दुरूस्ती का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अंत में आवेदन प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 33, 38 तन ख.नं. 119 रकबा 0.0100 है0, ख.नं. 34 रकबा 0.0500 है0, ख.नं. 35 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0800 है0 एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 120 रकबा 4.4200 है0, ख.नं. 36 रकबा 7.7500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.1700 है0 वाके ग्राम खूड पटवार हल्का खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी/आवेदक का नाम रामेश्वर लाल पुत्र गुल्लाराम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक रूप से ''रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम'' संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर सें साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जि पर बयानात लिये गये। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा आग्रह किया कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र गुल्लाराम के स्थान पर रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम दुरूस्त किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससें स्पष्ट है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों में एकरूपता नहीं है अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खूड़ पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 119, 34, 35 किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 120, 36 किता 2 कुल रकबा 12.17 हैक्टर में खातेदार प्रार्थी रामेश्वर लाल पुत्र गुल्लाराम के स्थान पर रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12..2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner